

स स्थय फ ल त्र  
स स्थय फ ल फ

तारांकित प्रश्न सं : 4440

19 , 2019 प्रश्न त

द त

4440. श्री हरोश द्विवेदो:

श्री विजय बघेल:

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण त्रि बताने को कृपा करगे कि:

(क) देश म पैकेटबंद वस्तुओं को शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड बनाए गए ;

( ) फ द स ा / फ ा  
लोगों के विरुद्ध दण्ड प्रावधा ब क ;

(ग) देश म खाद्य वस्तुओं को गुणवत्ता को जांच हेतु स्थापित प्राधिकृत प्र ज  
स - ब क ;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों को खाद्य जांच प्र ा स फि फि ा फि  
, त ब क तीन वर्षों के दौरान राज्यों को इस प्रयोजन हेतु त  
सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- फ निर्धि आवंटित को गई है;

(ड) क्या सरकार का पैकेटबंद खाद्य वस्तुओं म प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर खाद्य स  
फ नियमों को और सख्त बनाने पर विचार कर रहा है तथा यदि हां, त ब क ?

स स्थय फ ल ज मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

( ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य एवं ( द  
त द मानक तथा खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के तहत अधिकांश खाद्य श्रेणियों के लिए खाद्य  
फ धारित किए हां फि फि ा फि प्र ष द श्रेणियों म

फि प्रप खाद्य योजकां को सीमाएं फि फि द क्ष  
( फि , फि क फि ष ) विनियमन, 2011 के तहत विभिन्न स ि  
फि, कोटनाशकां और एंटाबायोटिक्स अर्वाशिष्टां ि फि धारित को हा।

द क्ष ( ) विनियम , 2011 ि 04 स च  
स स्थय संबंधी परिपाटियां का प्रावधान करती है जिनका खाद्य व्य प्र ि ( )  
किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, क द स ओं का विनिमाण करने वाले प्रत्ये  
फएसएस (पैकिंग एवं लेबलिंग) विनियम , 2011 के प्रावधानां का पालन करना होता है  
जिनम यह अनिवाय है कि प्री- क खाद्य को पोषण संबंधी सूचना घटकां को सूची किस अर्वाधि तक  
प्र बेहतर है आदि को दशाया जाने जैसा इन विनियमां के उप-फि 2.2.2  
फि फि फि फि , पैककताओं थोक बिब्रेताओं, वितरकां और बिब्रेताओं सहित खाद्य  
व प्र ि ( ) का जिम्मे ि क्र : द क्ष फि फि ,  
2006 ि 26 27 फि फि

( ): द क्ष मानक (एफएसएस) अर्धिनियम, 2006 ि 52 ब्र द  
फि , धारा 53 जो भ्रामक विज्ञापन हेतु दंड से संबंधित है और धारा61 जो गलत  
फि , फि फि त क प्रावधान उन मामलां म लागू होगा जहां पैक खाद्य  
स ि ि / मानदंडां के विपरित पाये जाते हा।

(ग): वतमान म एफएसएसआई के पास संपूण देश म 259 प्रयोगकताओं का नेटवक है जिसम प्रार्थमिक  
परोक्षण के लिए 241 प्रयोगशालाएं (एफएसएस अर्धिनियम का 43 (1) न प्राप्त  
फि फि 179 ट्र शन प्रावधान के तहत संचालित 62 ज खाद्य प्रयोगशालाओं सहित और  
ि ( ) परोक्षणां फि 18 प्र क अर्धिनियम का धारा 43(2)  
न ता प्राप्त फि फि , फि प्र ि ज / ज क्षेत्र- स -  
ख ग -। ि

( ): 481.95 करोड़ रुपए के परिव्य 'मोबाईल खाद्य परोक्षण प्रयोगशालाओं के  
प्रावधान सहित देश म खाद्य परोक्षण प्रणाला के सुदृढीकरण' संबंधी केन्द्री क्षेत्र का योजना (सीएसएस)  
न , ज खाद्य प्रयोगशाला के नवीनीकरण,  
उपकरणां को खरोद, - - पर काइक्रोबायोलोजी प्रयोगशालाओं को स्था फि  
10 रु ि फि फि है। इस केन्द्री क्षेत्र का योजना म अन्य ि -  
अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यां ज , द प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटोएल)  
फि त य सहयोग को परिकल्पना को गई है बशत कि राज्य ि त ि फि  
ज ि वहाय प्रस्ता प्रप ि त ज फि ज प्र

न ि तीन वर्षा के दौरान जारी निर्धियां का राज्य/ ङ क्षेत्र- ढ ग -  
॥ ि

(.): द् स ओं से संबंधित सभी नियमां और विनियमां का निरंतर समीक्षा का जाती है और इन्ह  
क ि १ १ क बदलाव किए जाते ह।

\*\*\*\*

ज /केन्द्र शासित प्रदेश- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

क्र.	राज्य / केन्द्र प्र	वि.सं., 2006 के 43(1) अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ			क्र. प्र	वि.सं., 2006 के 43(2) अधिसूचित प्र
		ज	न	र		
1	ध्र प्र	-	1	-1	वि.सं. -3 ल -1 -1	वि.सं. -1 -1
2		-	-	-	1 -1	-
3	वि	-	-	-	-1	-
4	र	-	-	-	-1	-
5	1	-	-	-1	-	-
6	दिल्ली को	-	-	दिल्ली -19	दिल्ली-1	-
7		-	-	-1	Bambolim -1	-
8		-1 -1 -1	-	-5 -2 -2 -1	-1	-1-
9	वि	-	-	-3 -4 रुग्ग -6 -1	-1, 1	-
10	वि प्र	-	-	वि-	-1	-
11	जम्मू और कश्मीर	-	रु -1	-	रु -1, श्री -1	-
12		-	-	-1	-1	-
13		-	-	रु -12 -1	रु -2 -1, -1, -1	रु -1, रु -1
14		वि -1 वि रु -1	विशूर -1 वि -1 पथानामाथिहा -1 ल -1 -1	वि -5 रु -2	-	वि -2

15	मध्य प्रदेश	-	-	-5 -2 -1	-1	-
16	ष्ट	-1 -1	-1 -1	f -2 -5 -6 -7 -3	-2, -1, ल -1 -1 -1 -2 f -1 -1 -1 -2, -1 -1	-2 -1
17	f	-	-	-	f -1	-
18		-	-	-	f -1	-
19		-	-	-	f -1	-
20	f	-	-	३ -1	३ -1	-
21	१	-	-	-	१ -1	-
22		-	१ -1	f -1 f -1	-1	१ -1
23	रु	-	-1	-5	-1 -1 -1 -1, -1, -1	-
24	f के	-	-	-	f	-
25	f	-	न -1	न -14 -1 -1 -1	-1, न - 1 -1 -1 -1 f रु १ -1	न -1, -1
26		-1	-	-9	-	-3
7	त्रि	-	-1	-	ल -1	-
8	त प्र	-1 -1	प्र -1 -1 -1	-2 -2	-1 -1 -1 -1	-1, -1
29	त	-	-	रु १-1	रुद्रपुर-1	-
30	३	-	-3	-4	-1	-1
		12	19	148	62	18

ज प्र न लिए कद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जारो कोष का राज्य/ क्षेत्र f

क्र.	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	जारो को गई राशि ( )		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश ( f हृ )	0.50	0.00	0.00
2	( हृ )	0.50	3.50	3.20
3	f ( )	0.00	0.00	4.00
4	हृ ( )	<b>0.00</b>	<b>0.35</b>	<b>8.60</b>
5	दिल्ली	0.50	4.25	4.70
6	( हृ f )	0.50	4.25	4.70
7	( )	0.50	0.35	9.05
8	( )	0.00	0.00	0.50
9	f ( )	0.50	0.00	8.45
10	हिमाचल प्रदेश ( )	0.50	0.00	0.00
11	हृ श ( हृ )	0.50	6.00	0.00
12	जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर)	0.00	6.50	0.00
13	( )	0.00	0.00	5.50
14	( )	0.50	8.50	0.50
15	( )	0.00	0.00	5.00
16	( f )	0.50	8.50	0.50
17	( f हृ )	0.00	0.00	0.50
18	हृ प्र ( )	0.50	0.00	8.45
19	महाराष्ट्र ( , )	0.50	0.00	0.00
20	f ( )	0.00	0.50	8.45
21	f ( )	0.00	0.00	2.40
22	( f )	0.00	0.50	8.95
23	( f )	0.50	2.00	6.95
24	f ( श )	0.50	0.00	8.45
25	f ( f )	0.00	0.00	0.50
26	( )	0.50	3.50	1.25
27	हृ ( )	0.00	0.00	7.20
28	हृ ( )	0.00	0.00	7.20
29	हृ ( )	0.00	0.00	0.50
30	f के ( f )	0.00	0.00	5.00

31	f ( )	0.50	6.00	0.50
32	f ( )	0.00	0.00	7.20
33	( )	0.00	2.50	6.95
34	उत्तर प्रदेश ( )	0.50	2.00	5.95
35	त ( रुद्रपुर )	0.50	0.00	0.00
36	इ ( )	0.50	8.50	0.50
37	त्रि	0.00	0.00	0.00
		<b>9.50</b>	<b>67.70</b>	<b>141.60</b>